

कार्यालय
मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल
गोमंतिका परिसर तृतीय तल, 12 दफ्तर रोड, जवाहर चौक, भोपाल (म0प्र0)

क्रमांक/म.प्र.न.रजि.कौ./2023/ 1452
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03/02/23


संचालक/प्राचार्य,
मान्यता प्राप्त नवीन नर्सिंग संस्थायें,
मध्यप्रदेश।

विषय:— 25 लाख की बैंक गारण्टी जमा कराने के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषय में लेख है कि म.प्र. नर्सिंग शिक्षण संस्थान मान्यता नियम 2018 एवं संशोधित मान्यता नियमों के तहत सत्र 2022-23 में मान्यता प्राप्त किराये के अकादमी भवन में संचालित नवीन नर्सिंग संस्थाओं को 25 लाख की बैंक गारण्टी जमा कराया जाना आवश्यक है।

अतः सत्र 2022-23 में किराये के अकादमी भवन में संचालित नवीन मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 24.02.2023 तक मूल बैंक गारण्टी कौंसिल कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना सुनिश्चित करें। समय-सीमा में मूल बैंक गारण्टी जमा नहीं कराने जाने पर संस्थाओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संस्था की होगी।



प्रशासक/रजिस्ट्रार
मध्यप्रदेश नर्सस रजिस्ट्रेशन कौंसिल
भोपाल (म0प्र0)